फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

लोकेश बनाम विनीत

[केस] संख्या : 85/24 [illegible]

केस संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	25-4-2025	पत्रावली प्रस्तुत व0को0उप0 माननीय आदेशानुसार वास्ते आदेश प्रा0पत्र 07 R11 व धारा-10 व 15 हेतु दिनांक 28/4/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर	
	28-4-2025	पत्रावली प्रस्तुत व0को0उपस्थित। प्रार्थना-पत्र 07 R11 व धारा-10 मय पठित धारा-15 स्वीकार किया जाकर वाद वादी खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय व डिक्री पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:12:32 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या 85 / 2024 वाद प्रस्तुति दिनांक –09.10.2024

लोकेश कुमार शर्मा पुत्र श्री राधेश्याम शर्मा निवासी मकान नम्बर 9394 दीनानाथ जी की गली पहला चौराहा, पुरानी बस्ती जयपुर

बनाम

1. विनित शर्मा
2. अंकित शर्मा
   पुत्रान नामालु निवासी प्लोट संख्या 44 पृथ्वी कालोनी नयाखेडा जयपुर
3. अंजना शर्मा पुत्री जयराम शर्मा
4. अनिल कुमार शर्मा पुत्र परमहंस शर्मा
5. अरूण कुमार शर्मा पुत्र परमहंस शर्मा
6. आलोक कुमार शर्मा पुत्र परमहंस शर्मा
7. अर्जुन वीर पुत्र बदरीनारायण शर्मा
8. कमल कुमार शर्मा पुत्र रामस्वरूप शर्मा
9. ज्योति शर्मा पुत्र स्व. रामस्वरूप शर्मा
10. दुर्गा देवी पत्नी रामस्वरूप शर्मा
11. पवन कुमार शर्मा पुत्र रामस्वरूप
12. ब्रजमोहन शर्मा पुत्र नन्दलाल
13. सत्यनारायण शर्मा पुत्र नन्दलाल
14. मंजू शर्मा पुत्री जयराम
15. योगेश शर्मा पुत्र जयराम
16. राजेश पुत्र जयराम शर्मा
    निवासीगण ग्राम खोराबीसल तहसील रामपुरा डाबडी जयपु
17. राहुल शर्मा पुत्र दिनेश शर्मा
18. सुमित शर्मा पुत्र दिनंश शर्मा
    निवासी प्लोट संख्या 63–64 प्रेम नमगर झोटवाडा जयपुर
19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामपुराडाबडी जयपुर
20. उप पंजीयक रामपुरा डाबडी जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:12:32 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश– 7 नियम [illegible] दीवानी सपठित धारा 10 एवं 151 सीपी[illegible]

उपस्थिति :– (1) श्री हनुमान शर्मा – अधिवक्ता वादी की ओर से
(2)श्री रामावतार शर्मा – अधिवक्ता प्र[illegible]वादी संख्या 1 व 2

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

दिनांकः– 28.04.2025

निर्णय

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से एक प्रार्थना पत्र बाबत निरस्तीकरण वाद अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 संपठित धारा 151 सी.पी.सी. पेश किया गया। जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वादी द्वारा श्रीमान् न्यायालय के समक्ष पूर्व में एक घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पैतृक संपत्ति स्व0 श्री राधेश्याम पुत्र चंदाराम के विरूद्ध प्रस्तत किया गया जिसके मुकदमा नंबर 44/2010 का निर्णय श्रीमान न्यायालय द्वारा पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति के आधार पर पैतृक संपत्ति व अन्य चल व अचल संपत्तियों के होने के आधार पर अपने पूर्व वाद को विड्रो करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसमें प्रार्थना पत्र को न्यायालय श्रीमान द्वारा स्वीकार करते हुये दावा दिनांक 17.05.2010 को खारिज किया गया, वादी ने पुनः श्रीमान न्यायालय के समक्ष उक्त पैतृक आराजी कृषि भूमि के संबंध में उक्त उनवानी वाद प्रस्तुत किया है, इस प्रकार श्रीमान न्यायालय के समक्ष पूर्व में प्रस्तुत वाद खारिज होने के कारण पूर्व न्याय के सिद्धांत से वादी वाद लाने का हक व अधिकारी नहीं है। वादी द्वारा श्रीमान न्यायालय के समक्ष बिना वादकारण उक्त वाद प्रस्तुत किया गया चूंकि पैतृक भूमियों के संबंध में वादी ने बतौर प्रतिफल राशि के रूप में 13,00000/– रूपये नगद प्राप्त कर लिये तथा न्यायालय के समक्ष उक्त स्वीकृति के संबंध में पूर्व वाद विड्रो के प्रार्थना पत्र में उक्त तथ्यों की स्वीकृति की गई है तथा वादग्रस्त पैतृक कृषि भूमि के किसी भी व्यक्ति वाद लाने बाबत् अपने आपको एस्टोप्ड किया है, तथा प्रार्थना पत्र के समर्थन में एक शपथ पत्र भी श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसमें वादी के प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र को वादी के हस्ताक्षर को उसके अधिवक्ता द्वारा पहचान की गई है एवं श्रीमान न्यायालय के द्वारा भी पूर्व वाद की आदेशिका दिनांक 17.05.2010 पर वादी के हस्ताक्षर उसके अधिवक्ता द्वारा पहचान किया गया है विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि एक बार कोई व्यक्ति किसी तथ्य को स्वीकृत कर लिया जाता है तो उसे मुकरने नहीं दिया जायेगा जो न्यायिक रूप से एस्टोपल के सिद्धांत के कारण वादी का वाद विधि द्वारा वर्जित होने के कारण चलने योग्य नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 स्व0 श्री राधेश्याम शर्मा पुत्र नंदराम शर्मा के पुत्र है स्व0 राधेश्याम शर्मा ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हक में उक्त भूमि के संबंध में एक रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 23.10.2009 को निष्पादित की गई, उक्त रजिस्टर्ड वसीयत के निष्पादन के पश्चात् वादी ने श्रीमान न्यायालय के समक्ष पूर्व वाद संख्या 44/2010 स्व0 राधेश्याम जी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता स्व0 राधेश्यामजी के उक्त पैतृक कृषि भूमि व अन्य चल व अचल संपत्ति को लेकर राजीनामा हो गया तथा राजीनामा में पैतृक कृषि भूमि व अन्य चल व अचल संपत्तियों के प्रतिफल की एवज में बतौर प्रतिफल राशि वादी द्वारा प्राप्त की गई तथा अपनी पैतृक भूमि व अन्य चल व अचल भूमि के संबंध में अपने अधिकारों का अभितेजन किया गया, इस प्रकार वादी ने श्रीमान न्यायालय के समक्ष तथ्यों को छुपाते हुये तथा मिथ्या तथ्यों के आधार पर न्यायिक प्रक्रिया के सिद्धांतों का दुरूपयोग करते हुये श्रीमान न्यायालय के समक्ष उक्त वाद प्रस्तुत किया जो काबिले खारिज योग्य है।

सहायक कलक्टर
आमेर, जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:12:32 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण की ओर से आदेश 7 नियम 11 संपठित धारा 151 सीपीसी का जवाब पेश किया जिसमें कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने वाद के निर्णय में देरी करने की नियत से एवं वादी के राजस्व हकों को समाप्त करने की बदनियति से यह प्रार्थना पत्र बिना किसी हक व अधिकार के पेश किया है। एवं प्रतिवादी को आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का प्रार्थना पत्र पेश करने का कानूनन अधिकार नहीं है। 2011(3) डब्लू.एल.सी. पेज 349 में स्पष्ट अभिनिर्धारित कर दिया है कि प्रतिवादी 7 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का प्रार्थना पत्र नहीं प्रस्तुत कर सकता है। इसके विपरित यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। जो समरिली निरस्त फरमाया जावें। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य पूर्णतया मिथ्या व आधारहीन होकर अस्वीकार है। किसी भी प्रकार से 13,00000/– रूपये अक्षरे तेरह लाख रूपया की रकम प्रतिवादीगण ने वादी को नहीं दी है। एवं जो तथ्य वादी ने उक्त पैरा में अंकित किये है। वह साक्ष्य का विषय है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 स्व. राधेश्याम पुत्र नंदाराम के कतई विधिक पुत्र नहीं है। एवं तथाकथित वसीयत पैतृक संपत्ति बाबत करने का न तो स्व0 राधेश्याम जी को नहीं है। एवं वादी की पैतृक संपत्ति में वादी के हक समाप्त करने का अधिकार स्व. राधेश्यामजी को भी नहीं है। जो एक कानूनी प्रावधान 2024 (1) आरआरटी पेज 25 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने स्पष्ट निर्धारित कर दिया है कि किसी भी दस्तावेज का रजिस्टर्ड होना ही पर्याप्त नहीं है। उसे साबित करना भी आवश्यक है। तथाकथित वसीयत फर्जी व कूटरचित श्रेणी की है। जिससे कोई लाभ प्रतिवादी संख्या 1 व 2 नहीं प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का राजीनामा वादी व राधेश्यामजी के मध्य नहीं हुआ है। इस वजह से प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र समेरिली निरस्त फरमाया जावें।

प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत RRT 2021 (1) P- 535, DNJ 2017(1)(Raj) P-2, AIR 2014 SC P 731, AIR 2003 (RAJ) Page 319 पेश किया।

उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। बहस तथा प्रत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अवलोकन किया। वादी द्वारा पूर्व में एक घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद बउनवानी लोकेश बनाम रामस्वरूप स्व0 श्री राधेश्याम पुत्र चंदाराम के विरूद्ध प्रस्तत किया गया जिसके मुकदमा नंबर 44/2010 का निर्णय श्रीमान न्यायालय द्वारा पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति के आधार पर पैतृक संपत्ति व अन्य चल व अचल संपत्तियों के होने के आधार पर अपने पूर्व वाद को विड्रो करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कि[illegible] जिसमें दावा दिनांक 17.05.2010 को खारिज किया गया, वादी [illegible] पैतृक आराजी कृषि भूमि के संबंध में उक्त उनवानी वाद प्रस्तुत किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:12:32 IST
Reason: SelfAttested

यह अच्छी त[illegible] से स्थापित है कि जहां रिस ज्यूडिकेटा दूसरे मुकदमे में उसी मामले पर विचार करने से रोक देगा, जब उस पर उस धारा में उल्लिखित शर्तों के तहत पहले मुकदमे में विचार किया गया हो और निर्णय लिया गया हो। जबकि एस्टोपल का नियम पक्षकार को उस बात से इनकार करने से रोकता है

सहायक कलक्टर आमेर मुख्यालय जयपुर

जिसे उसने एक बार सत्य कहा था। यहां यह उल्लेखनीय है कि पूर्ववर्ती वाद एक ही विषय वस्तु और एक राहत के संबंध में वाद था जो रिस ज्यूडिकेटा सबजुडिस का सिद्वांत सिविल प्रकिया संहित 1908 की धारा 10 में निहित है। जो कि बार्ड बाई लॉ है। इसके अतिरिक्त वाद एस्टोपल के नियम से भी बाधित है क्योकि प्रतिवादीगण ने पूर्ववर्ती वाद वही उल्लेख किया है जो इस वाद में है। AIR 2003 RAJASTHAN 319:2003 WLC RAJ 426 में उल्लेख किया गया है कि Initiation of fresh suit Requirement of permission of court - Excludes by implication procedure of instituting fresh suit and therafter withdrawing earlier suit - Fresh so instituted is not tenable जिससे हम सहमत हैं। फलस्वरूप उपरोक्त विवेचन अनुसार वाद पूर्व न्याय के सिद्धांत (Res Judicata) and estoppel के सिद्वान्त से बार्ड बाई लॉ (Barred by Law) साबित होने से अन्तर्गत आदेश– 7 नियम – 11 जाप्ता दीवानी सपठित धारा 10 एवं 151 सीपीसी के तहत खारिज होने योग्य है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र 7 नियम – 11 जाप्ता दीवानी सपठित धारा 10 एवं 151 सीपीसी स्वीकार होने से दावा खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:12:32 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ऑं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
पीठासीन अधिकारीः सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या 85 / 2024 वाद प्रस्तुति दिनांक –09.10.2024

लोकेश कुमार शर्मा पुत्र श्री राधेश्याम शर्मा निवासी मकान नम्बर 9394 दीनानाथ जी की गली पहला चौराहा, पुरानी बस्ती जयपुर

बनाम

1. विनित शर्मा
2. अंकित शर्मा
   पुत्रान नामालु निवासी प्लोट संख्या 44 पृथ्वी कालोनी नयाखेडा जयपुर
3. अंजना शर्मा पुत्री जयराम शर्मा
4. अनिल कुमार शर्मा पुत्र परमहंस शर्मा
5. अरूण कुमार शर्मा पुत्र परमहंस शर्मा
6. आलोक कुमार शर्मा पुत्र परमहंस शर्मा
7. अर्जुन वीर पुत्र बदरीनारायण शर्मा
8. कमल कुमार शर्मा पुत्र रामस्वरूप शर्मा
9. ज्योति शर्मा पुत्र स्व. रामस्वरूप शर्मा
10. दुर्गा देवी पत्नी रामस्वरूप शर्मा
11. पवन कुमार शर्मा पुत्र रामस्वरूप
12. ब्रजमोहन शर्मा पुत्र नन्दलाल
13. सत्यनारायण शर्मा पुत्र नन्दलाल
14. मंजू शर्मा पुत्री जयराम
15. योगेश शर्मा पुत्र जयराम
16. राजेश पुत्र जयराम शर्मा
    निवासीगण ग्राम खोराबीसल तहसील रामपुरा डाबडी जयपु
17. राहुल शर्मा पुत्र दिनेश शर्मा
18. सुमित शर्मा पुत्र दिनेश शर्मा
    निवासी प्लोट संख्या 63–64 प्रेम नमगर झोटवाडा जयपुर
19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामपुराडाबडी जयपुर
20. उप पंजीयक रामपुरा डाबडी जयपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी सपठित धारा 10 एवं 151 [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13.12:32 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी सपठित धारा 10 एवं 151 सीपीसी स्वीकार जाकर वाद खारिज किया जाता है [illegible] दस्तख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 28.04.2025 को जारी किया ।

दस्तखत——

ओहदा——

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

दिनांक :—

...क्षा स्वयंसेवकों का माह मार्च -

प्रकरण संख्या — 85 / 2024
बउनवानी — लोकेश कुमार बनाम विनित कुमार
निर्णय दिनांक — 28.04.2025

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत् इजराय हुक्मानामा	4 रूपये		बबत् इजराय हुक्मानामा	4 रूपये	
मुतफरित			मुतफरित		
मीजान			मीजान		

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:12:32 IST
Reason: SelfAttested